मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-15

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2009 (श्रावण 2, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 120 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 127 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. स्वागत

अध्यक्ष महोदय द्वारा राव उदय प्रताप सिंह, लोक सभा सदस्य (होशंगाबाद) की अध्यक्षीय दीर्धा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के निर्माण कार्यों में विलंब होने,
(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की होशंगाबाद के ग्राम गोहान में विद्युत सब स्टेशन कार्य पूर्ण करने,
(3) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य की रायसेन के ओबेदुल्लागंज में कर्मचारियों के वेतन भुगतान में विलंब होना,
(4) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के नागदा में विद्युत ट्रांसफार्मर्स लगाने में अनियमितताएं होने,
(5) डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड,अशोकनगर,गुना में संविदा शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में शामिल करने,,
(6) श्री नागेन्द्र सिंह, सदस्य की गुढ़ एवं रायपुर कुर्चुलियान में तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने,
(7) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले में खाद्यान्न वितरण प्रणाली में अनियमितताएं होने,
(8) श्री आरिफ अकील, सदस्य की छठवें वेतनमान में विसंगति से कर्मचारियों को लाभ न होने,
(9) श्री कमल मर्सकोले, सदस्य की जबलपुर-नागपुर मार्ग पर गाड़ियों के परिवहन में अनियमितता होने,
(10) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट जिले के बिरसा दमोह के ग्रामों में कृषि कार्य प्रभावित होने,
(11) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य की रायसेन के ग्राम नरवर में बीमारियों का प्रकोप होने,
(12) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के थाना चोरहटा अंतर्गत खैरी नई बस्ती में चोरी होने,
(13) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की जबलपुर नगर की शासकीय शिक्षक कालोनी का विद्युतीकरण न करने,
(14) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की इंदौर जिले के पालिया रेल्वे स्टेशन के ग्रामों की सड़क को पक्का करने
(15) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य की बंडा क्षेत्र के शा. राजीव गांधी महाविद्यालय में विज्ञान संकाय न होने,
(16) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की विजयपुर क्षेत्र के वीरपुर सब स्टेशन के फीडर्स की विद्युत तारें बदलने,
(17) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की भोपाल के गेंहूखेड़ा में राजदेव कालोनी में पानी की निकासी न होने,
(18) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर की जे.सी. मिल के निवासियों हेतु सफाई व्यवस्था न होने,
(19) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य की छतरपुर के लौंडी, राजनगर क्षेत्र में किसानों को बीज न मिलने,
(20) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल के मुलताई के ग्राम गोधनी में भूमि को आबादी भूमि घोषित करने,

(21) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह क्षेत्र में लघुवनोपज संघ द्वारा किसानों को अनुदान न देने,

(22) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद में स्वाधार संस्था द्वारा अनुदान राशि का दुरूपयोग करने,

(23) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ के ग्राम लार बंजरया में मलेरिया का प्रकोप होने,

(24) श्री माखनलाल राठौर, सदस्य की शिवपुरी के श्री बांकड़े वाले हनुमान मंदिर हेतु मार्ग निर्माण करने,

(25) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की हटा क्षेत्र के हटा नगर में शासकीय भवनों से अवैध कब्जे हटाने,

(26) श्री ब्रजमोहन धूत, सदस्य की खातेगांव के मेलपिपल्या ग्राम में मछली पकड़ने की अनुमति न मिलने,

(27) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण करने,

(28) श्री विजयपाल सिंह राजपूत, सदस्य की शा.माखनलाल चतुर्वेदी महा. बाबई में प्राध्यापकों के पद भरने,

(29) श्रीमती शिवमंगल सिंह तोमर, सदस्य की मुरैना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 7 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखा।

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखा।

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री वन ने -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2007-2008, तथा

(ख) मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन् 1984) की धारा 22 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-8-2000-दस-3, दिनांक 30 जून, 2009, पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 38 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम 8 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(1) सर्वश्री प्रेमनारायण ठाकुर, दीपक सक्सेना, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब कार्डधारी मजदूरों को प्रदाय करने हेतु सामग्री खरीदी में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री आरिफ अकील, सदस्यगण ने प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत खरीदी गई सामग्री में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड के तत्कालीन जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भिण्ड जिले के कनावर विद्यालय में पदस्थ शिक्षाकर्मी द्वारा अध्यापन कार्य न किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने छतरपुर जिले के ग्राम देवरान में दलित युवक के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) सर्वश्री ध्रुवनारायण सिंह, अजय सिंह, आरिफ अकील, सदस्यगण ने सीहोर जिले की कृषि सहकारी समिति झाल पिपली की भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री, राजस्व ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) श्री परसराम मुदगल एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण ने मुरैना में अवैध रेत ले जा रहे ट्रेक्टर से कुचलने से तीन व्यक्तियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री अरूणोदय चौबे, सदस्य ने सागर जिले के खुरई नगर की जल प्रदाय योजना हेतु अनुदान राशि स्वीकृत न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं -

(9) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत एवं प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्यगण की प्रदेश के अनेक जिलों में नकली घी एवं सिंथेटिक दूध की बिक्री होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(10) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री आरिफ अकील एवं पांचीलाल मेड़ा, सदस्यगण की भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से प्रसूताओं की मौत होने संबंधी सूचना तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(11) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश के अनेक मण्डियों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(12) श्री अजय सिंह, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के दक्षिण वन मण्डल सौंसर अंतर्गत वनों की अवैध कटाई किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री वन का वक्तव्य।

(13) सर्वश्री राधेश्याम पाटीदार, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण की मंदसौर के राकोंदा गांव में पुलिस फायरिंग से एक युवक की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(14) डॉ. कल्पना परूलेकर, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण की उज्जैन जिले के महिदपुर क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की दुकानें चलाई जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य।

(15) श्री यादवेन्द्र सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत सिमरा खुर्द के सरपंच के पति द्वारा कमीशन खोरी से तंग होकर आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(16) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री पांचीलाल मेड़ा, आरिफ अकील, सदस्यगण की पन्ना जिले के थाना सिमरिया में एक महिला के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री अजय सिंह, सदस्य की धार जिले के धामनोद अस्पताल में नसबन्दी आपरेशन के दौरान दो महिलाओं की मृत्यु होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(18) सर्वश्री पारस सकलेचा, पांचीलाल मेड़ा, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पाठ्यक्रम बदले जाने से परीक्षा परिणाम प्रभावित होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(19) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम शोभापुर में एक महिला के साथ बलात्कार किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल व आसपास के क्षेत्रों में दूध की कमी होने संबंधी सूचना तथा पशुपालन मंत्री का वक्तव्य।

(21) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, श्री भंवर राजा मानवेन्द्र सिंह, सदस्यगण की दतिया के थानों में बलात्कार के आरोपियों को गिरफ्तार न किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री ब्रजराज सिंह चौहान, सदस्य की श्योपुर जिले में रोजगार गारंटी योजना के तहत किये जा रहे कार्यों में भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(23) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा नगर पालिक निगम द्वारा सामग्री क्रय में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की मंडला जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उचित चिकित्सा व्यवस्था के अभाव से मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(25) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्यगण की छतरपुर जिले के ग्राम बेहटा निवासी एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(26) श्री रामगरीब कोल, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम नौढिया में आदिवासी एवं हरिजनों के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(27) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की जबलपुर स्थित महिला अस्पताल में विद्युत कटौती से उपचार में व्यवधान होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(28) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में उदय प्रोजेक्ट के तहत खोदी गई सड़कों का मरम्मत कार्य नहीं किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री अजय सिंह, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले में फ्लोराईड युक्त पेयजल पीने से विकलांगता होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(30) श्री अजय सिंह, सदस्य की इन्दौर के ग्राम गारी पिपलिया के दलित परिवारों को भूमि से बेदखल किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री राजस्व का वक्तव्य।

(31) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर नगर की कालोनियों में गंदगी का साम्राज्य होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(32) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की पटेरा कटनी मार्ग पर टोल टैक्स के नाम पर वाहनों से अवैध वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(33) श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा, सदस्य की गुना जिले के बजरंगगढ़ स्थित डाईट भवन के निर्माण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(34) सर्वश्री आरिफ अकील, अजय सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर शासन द्वारा ध्यान न दिये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(35) श्री राकेश शुक्ला, सदस्य की भिण्ड जिले के मेहगांव स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(36) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल जिले में जनपद पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(37) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अजय सिंह, सदस्यगण की भोपाल के गांधी नगर थानान्तर्गत एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(38) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के कन्हरगांव बांध के निर्माण कार्य में अनियमितता होने से दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2009 (क्रमांक 10 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (भाषण अपूर्ण)

(अपराह्न 1.00 बजे से 2.37 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा अशासकीय कार्य के पश्चात् ली जाना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घन्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत हैं।

अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित शासकीय कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समय के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य लिये जायेंगे तथा उसके पश्चात् नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा कराई जायेगी।

8. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक शुक्रवार दिनांक 24 जुलाई, 2009 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 12 सन् 2009)	1 घन्टा
2.	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 14 सन् 2009)	1 घन्टा
3.	मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 15 सन् 2009)	30 मिनट
4.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009)	1 घन्टा
5.	मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 17 सन् 2009)	2 घन्टे

समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई है कि दिनांक 28 जुलाई, 2009 के बाद सदन की बैठकें नहीं होंगी।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी उपाध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिश पढ़कर सुनाई, उसे सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

2. श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2009 (क्रमांक 10 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2009 (क्रमांक 11 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सुखदेव पांसे
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2009 (क्रमांक 11 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ

10. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र ग्वालियर से भितरवार, नरवर, करेरा, पिछोर से वसई तक रेलवे लाईन बिछाई जाय" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि ग्वालियर स्थित जे.सी.मिल के बंद होने से बेरोजगार हुए मजदूरों की लंबित रशि का भुगतान 3 महीने की समय सीमा के भीतर राज्य शासन कराए और उन मजदूरों को रोजगार के लिये भी कोई योजना शीघ्र बनाई जाय".

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(2) डॉ. गोविन्द सिंह
(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सर्वश्री प्रद्युम्न सिंह, तोमर, डॉ. गोविन्द सिंह, तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी सहित कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा संकल्प को पारित करने के पूर्व मत विभाजन की मांग की गई। प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ। संकल्प को पारित करने के पक्ष में 31 मत तथा विपक्ष में 63 मत प्राप्त हुए।

मत विभाजन से संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि बुन्देलखंड के टीकमगढ़ या छतरपुर जिले में पृथक नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय".

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि प्रस्तुत संकल्प में निम्नानुसार संशोधन किया जाय कि -

"संकल्प की प्रथम पंक्ति में शब्द "या छतरपुर" के पश्चात् शब्द "अथवा सागर" जोड़ा जाए।"

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

मूल अशासकीय संकल्प एवं उस पर प्रस्तुत संशोधन पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह
(2) श्री शरद जैन
(3) श्री शैलेन्द्र जैन

(सदन की सहमति से, कार्यसूची में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई)

(4) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(5) श्री मानवेन्द्र सिंह
(6) श्रीमती ललिता यादव
(7) कुंवर विक्रम सिंह
(8) श्री शंकर लाल तिवारी
(9) श्री अरूणोदय चौबे
(10) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
(11) श्री नारायण प्रजापति
(12) श्री श्रीकांत दुबे
(13) श्रीमती रेखा यादव

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प में प्रस्तावित संशोधन पर सहमति व्यक्त की।

अध्यक्ष महोदय द्वारा मूल संकल्प तथा संशोधित संकल्प पर मत लिया गया कि -

"सदन का यह मत है कि बुन्देलखंड के टीकमगढ़ या छतरपुर अथवा सागर जिले में पृथक नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय".

यथा संशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ।

(4) सर्वश्री शरद जैन,नर्मदा प्रसाद प्रजापति,नारायण प्रजापति, सदस्यगण ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश में निवासरत प्रजापति समाज को प्रदेश के 10 जिलों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है इसे बढ़ाकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाय".

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री शरद जैन
(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(3) राव देशराज सिंह यादव
(4) श्री नारायण प्रजापति
(5) श्री शंकरलाल तिवारी
(6) श्री बृजमोहन धूत

श्री जगन्नाथ सिंह, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्यगण ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि वर्ष 1989 में आतंकवाद के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य से विस्थापित हुये नागरिकों को जम्मू ओर कश्मीर में पुनर्वासित किये जाने हेतु आवश्यक सहायता तथा सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप पुनर्वासन सुनिश्चित किया जावे".

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(2) राव देशराज सिंह यादव
(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री श्रम, राजस्व एवं पुनर्वास ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

11. नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा

(1) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि दिनांक 8 जुलाई, 2009 को किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 383) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा उठाई गई चर्चा उनके अनुरोध पर आगामी तिथि में कराई जायेगी।

(2) दिनांक 9 जुलाई, 2009 को नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्रमांक 606) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने चर्चा उठाई।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 6.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2009 (श्रावण 5, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.